संख्या 389 /VI/2005–123 पर्य0 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी,
साहसिक पर्यटन,
अल्मोड़ा।

पर्यटन अनुभागः

देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त, 2005

विषयः– कुमाऊँ मण्डल में साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–143/2–6–215/05–06, दिनांक 24 जून, 2005, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुमाऊँ मण्डल में साहसिक पर्यटन के विकास हेतु जिला योजना के अन्तर्गत कुल रू0 16.00 लाख (रूपये सोलह लाख मात्र) की धनराशि को निम्नतालिका के अनुरूप आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0स0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1	नैनीताल	2.50
2	उधमसिंह नगर	1.00
3	अल्मोड़ा	6.00
4	बागेश्वर	6.50
	योग–	16.00

2– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है।

3– प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी तथा कतिपय अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने पर भी विचार किया जाय एवं उक्त संस्थान के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम को सम्पन्न किया जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जनपदवार जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा तथा धनराशि व्यय के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का मदवार विवरण भी यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजनाओं में जनपदवार धनराशि का आवंटन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के अनुरूप तथा नियोजन विभाग के द्वारा आवंटित परिव्यय के अनुरूप हो स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर धनराशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर सहित कार्यक्रम पूर्ण होने के एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6– धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चत कर लिया जाये कि स्वीकृत की जा रही धनराशि से उत्तरांचल में साहसिक पर्यटन के विकास से सम्बन्धित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। धनराशि व्यय किये जाने के उपरान्त

उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों को प्राप्त होने वाले साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित रोजगार के सम्बन्ध में भी विवरण शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31/03/2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

8— व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

9— उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–26 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–09–पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

10— उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 1088/वित्त अनुभाग–3/2005, दिनांक 29 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या /VI/2005–123 पर्य0 2002, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3— जिलाधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, बागेश्वर।
4— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5— अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6— अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7— निदेशक, पर्यटन, देहरादून।
8— जिला पर्यटन विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
9— वित्त अनुभाग–3
10—एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव